


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p> वादी व RDR की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता कि pipeline absolute necessity है। वादी के आने-जाने का रास्ता अलग है परन्तु वादी pipeline के लिए अलग रास्ता मांग रहा है। तथा जमाबंदी अनुसार खसरा न. 831 गैर-मुमकिन चाहे ही दर्ज है। </p> <p> iii) Absence of alternative means of access is proved - माद्य इस तथ्य की सिद्धी भी नहीं हो रही। </p> <p> वादी द्वारा जिन खसरो से रास्ता के माद्य जा रहा है वह खसरे संयुक्त खाले में हैं। वादी द्वारा सिर्फ एक-एक खालेदार को ही party बनाया गया है। जबकि संयुक्त खाले की शूके में सारे खालेदार को party बनाना आवश्यक है। </p> <p> अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता। </p> <p> वादधार 251A फाइन किया जाता है निर्णय आज दिनांक 8/4/26 को सुनाया गया। </p> <p style="text-align: right;">  (महोदय) </p>